भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1419
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बाढ़ के उपशमन हेतु अवसंरचना की स्थापना

1419. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के विभित्र शहरों में नालों और नहरों में शटर और अतिरिक्त अवसंरचना के साथ सम्प और पंप व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करने का और शहरों के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के उपशमन हेतु 100 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है और यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार/राज्यों/निगमों को उन स्थानों की पहचान करने की आवश्यकता है, जहां नहरों और नालों के किनारे बाढ़ को रोकने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या नागरिक अधिकारी नहरों के पास बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे और निवासियों के साथ परामर्श करेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कितनी निधि स्वीकृत/खर्च की गई; और

(घ) क्या इन प्रयासों के कारण बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में कोई विशिष्ट परिणाम अथवा सुधार देखे गए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली को रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार योजनाबद्ध

कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। यह शहरी नियोजन ईको तंत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत तूफानी वर्षा जल निकासी एक स्वीकार्य घटक है जिसमें बाढ़ को कम करने और रोकने के लिए नालियों/तूफानी वर्षा जल निकासी का निर्माण और सुधार कार्य शामिल है। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अमृत दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क में परियोजनाओं के चयन, प्राथमिकता निर्धारित करने, डिजाइन और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। अमृत के तहत, 3,015.96 करोड़ रु. की लागत वाली 840 तूफ़ानी वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अमृत के तहत 2,322.8 करोड़ रु. की लागत वाली 793 तूफ़ानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इसके परिणामस्वरूप 3,678 स्थानों पर जल भराव की समस्या समाप्त हो गई है।

अमृत के तहत, आंध्र प्रदेश में 100.81 करोड़ रु. की लागत वाली 4 जल निकासी परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 6 स्थानों पर जल भराव की समस्या समाप्त हो गई है। तेलंगाना ने अमृत के तहत कोई जल निकासी परियोजना शुरू नहीं की है।

अमृत 2.0 के तहत जलाशयों और कुओं का पुनरुद्धार मुख्य घटकों में से एक घटक है। इसके तहत स्वीकार्य तत्वों में तूफ़ानी वर्षा जल निकासी के माध्यम से वर्षा जल को जलाशयों (जिनमें सीवेज/अपशिष्ट का स्राव न हो) में संचयित करना शामिल है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक 6,214.15 करोड़ रु. की लागत वाली 3,032 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश में 522.04 करोड़ रु. की लागत वाली 196 परियोजनाएं और तेलंगाना में 380.11 करोड़ रु. की लागत वाली 142 परियोजनाएं शामिल हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शी दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं:-

(i) शहरी और क्षेत्रीय विकास आयोजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014
(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%201(2).pdf)

(ii) शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding5%20May%202017.pdf)

(iii) वर्ष 2021 में नदी केन्द्रित शहरी आयोजना दिशानिर्देश, ताकि शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण के विकास में सक्षम बनाया जा सके (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf)

(iv) वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शी दस्तावेज़ (https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf)

****